प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
मत्स्य पालन विभाग ।

यादि क्रमांक : यो0स0–III–2015/539
पंचकूला दिनांक : 17.04.2015

विषय : योजना स्कीम फॉर दी इन्टैसिव फिशरीज डवैल्पमैंट प्रोग्राम फार दी ईयर 2015–16.

****

उपरोक्त विषय पर आपसे अनुरोध है कि यह एक निरन्तर स्कीम है जिसे विभाग द्वारा योजना आयोग वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों अनुसार वर्ष 1982–83 से हरियाणा राज्य में चलाया जा रहा है । सरकार ने वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट मे इस स्कीम को कार्यान्वित करने हेतू 143.00 लाख रूपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया था । इस स्कीम को वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित करने के लिए वित्त विभाग हरियाणा सरकार द्वारा 423.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । अतः सरकार की सेवा मे अवगत करवाया जाता है कि उपरोक्त विषय मे दी गई स्कीम को वर्ष 2015–16 में कुल 423.00 लाख रूपये में कार्यान्वित किया जायेगा ।

1 उद्धेश्य :

1. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे उपलब्ध तालाबों मे सघन मछली पालन हेतू वित्तीय एवं तकनीकि सहायता प्रदान करना तथा नए जल क्षेत्र की खुदाई व तालाब सुधार करना ।
2. राज्य में मछली पालन को बढावा देना तथा आम जनता के लिए प्रोटीनयुक्त मछली आहार का उपलब्ध करवाना ।
3. मछली पालन मे विविधिकरण लाना।
4. आम जनता के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना ।

2 भौतिक लक्ष्य :

उपरोक्त लक्ष्यों के लिए विभाग ने वर्ष 2015–16 के लिए निम्नलिखित भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये है :–

क्र0 स0	मद	यूनिट	प्रस्तावित लक्ष्य
1	मत्स्य पालन के अधीन जल क्षेत्र	हैक्टेयर	15570.00
2	मत्स्य बीज संचय	लाख	4671.00
3	मत्स्य उत्पादन	टन	105876.00
4	भूमि तथा पानी सैम्पलो का टैस्ट	संख्या	7000
5	क. पंचायती भूमि पर तालाब निर्माण	हैक्टेयर	80.00
	ख. पंचायती तालाबों का सुधार	हैक्टेयर	40.00
6	अनुदान क. शैलो टयूबवैल ख. डीप टयूबवैल ग. ऐरियेटर	संख्या	 20 10 10

उक्त स्कीम का मुख्य उदेश्य गांव के तालाबों मे मछली पालन के लिए तकनीक अपनाते हुए मत्स्य उत्पादन को अधिक करना है । हरियाणा राज्य मे वर्तमान समय मे 6300 किलोग्राम/हैक्टेयर/प्रति वर्ष की दर से मत्स्य उत्पादन किया है जिसे वर्ष 2015–16 में 6800 किलोग्राम/हैक्टेयर/प्रति वर्ष किया जायेगा । विभाग द्वारा 15570.00 हैक्टेयर में इन्टैसिंव उत्पादन का कार्य किया जायेगा जिसके लिए विभाग द्वारा तकनीकि सहायता प्रदान की जायेगी । इस वर्ष 15570.00 हैक्टेयर जल क्षेत्र मे 4671लाख उतम किस्म का मछली बीज संचय किया जायेगा ।

सरकार को यह भी अवगत करवाया जाता है कि इस स्कीम के अतंर्गत 105876.00 टन मछली का उत्पादन किया जायेगा, जिसकी अनुमानित आय 680.00 करोड रूपये मत्स्य पालको को होगी तथा ग्रामीण तालाबों को पटटे पर देने से राजकीय आमदनी भी बढेगी । प्रस्तावित स्कीमे मे तालाबों के पानी की गुणवता की जांच समय समय पर की जानी है जिससे प्रतयेक जिला स्तर पर प्रयोगशालय स्थापित की गई है । इसके साथ–2 पंचायतों की 120.00 हैक्टेयर भूमि पर नऐ तालाब का निर्माण कार्य करवाया जाना है ।

वित्तीय लक्ष्य :

वर्ष 2014–15 के दौरान उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने हेतू सरकार द्वारा 143.00 लाख रूपये का बजट में प्रदान किये गये थे । वर्तमान वित्तिय वर्ष मे इस स्कीम को कार्यान्वित करने हेतू 423.00 लाख रूपये की आवश्यकता होगी । मदवाईज बजट निम्नलिखित है :–

क्र0 स0	मद	प्रस्तावित बजट वर्ष 2015–16 (लाख रूपयें)
1	वेतन	35.00
2	मंहगाई भत्ता	30.00
3	मेडीकल	1.00
4	एल0टी0सी0	1.00
5	यात्रा खर्च	2.00
6	कार्यालय खर्च	5.00
7	मशीनरी एक्यूपमैंट	10.00
8	मोटर वहीकल एंड मैन्टीनैंस	7.00
9	पी0ओ0एल0	4.00
10	अनुदान	7.00
11	ग्राट टू पंचायत	300.00
12	वेजिज	18.00
13	एक्सग्रेशिया	3.00
	कुल जोड	**423.00**

विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 मे इस स्कीम को कार्यान्वित करने हेतू प्रस्तावित मांग का औचित्य निम्नलिखित है :–

1. वेतन 35.00 लाख रूपये

योजना स्कीम के अंतर्गत एक पद जिला मत्स्य अधिकारी, एक पद लेखापाल, दो पद मत्स्य अधिकारी, एक पद लेखालिपिक–कम–लिपिक, एक पद व्यवसायिक मत्स्य, तीन पद चालक, एक पद क्षेत्र सहायक, चार पद मत्स्यक–कम–वाचॅमैन तथा एक पद सेवादार स्वीकृत किये गये है जिनको वित्तिय वर्ष मे वेतन दिया जाना है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 35.00 लाख रूपयें स्वीकृत करने की कृपा करें ।

2. मंहगाई भत्ता 30.00 लाख रूपये

इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृति अमले को समय–2 सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मंहगाई भत्ता देना होगा जिसके लिए विभाग अनुमोदित वेतनमान के अनुसार अनुमानित 30.00 लाख रूपये की व्यवस्था कर रहा है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 30.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

3. चिकित्सा भत्ता 1.00 लाख रूपये

इस स्कीम के अंतर्गत सरकार की हिदायतों के अनुसार स्वीकृत अमले को इन्डोर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान करना होगा जिसके लिए अनुमानित 1.00 लाख रूपयें का प्रावधान इस मद मे किया जा रहा है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 1.00 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान करने के कृपा करें ।

4. एल0टी0सी0 1.00 लाख रू0

इस मद के अन्तर्गत सरकार द्वारा अमलें को समय–2 पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार ब्लॉक ईयर 2012–2015 मे एल0टी0सी0 भत्ता देना होगा जिसके लिए विभाग ने अनुमोदित वेतनमान के अनुसार अनुमानित 1.00 लाख रू0 की व्यवस्था की है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 1.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

5. यात्रा भत्ता 2.00 लाख रूपये

स्कीम के उदेश्यों को पूरा करने के लिए विभागीय अमले को क्षेत्र मे यात्रा करनी होगी । अतः यात्रा खर्च के लिए 2.00 लाख रूपयें की व्यवस्था की गई है । अंतर्गत प्रदान किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतू अमले को समय–2 पर यात्राएं करनी पड़ती है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 2.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

6. कार्यालय खर्च 5.00 लाख रूपयें

इस योजना स्कीम के अंतर्गत कार्यालयों के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टैस्नरी व अन्य फुटकर बिलों के भुगतान हेत हेतू 5.00 लाख रूपयें की आवश्यकता है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 5.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

7. मशीनरी एंड इक्यूपमैंट 10.00 लाख रूपयें

विभाग द्वारा मत्स्य किसान विकास एजैन्सी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के दौरान प्रत्येक जिला स्तर पर फिश हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की गई थी जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 30000 रूपये प्रति एजैन्सी एक मुश्त राशि प्रदान की गई थी तथा वर्ष 2008–09 मे जिला हेल्थ केयर सेंटर का सुद्धढ़ीकरण किया गया था । भारत सरकार द्वारा एजैनसियों को चलाने हेतू तैयार दिशा निदेर्शानुसार आगामी वर्ष में हेल्थ केयर सेंटर के रख–रखाव हेतू वित्तिय सहायता प्रदान की जानी है । अतः वर्ष 2015–16 के दौरान इन सेंटरस के रख–रखाव हेतू 10.00 रूपयें की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जा रहा है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 10.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

8. मोटर व्हीकल एंड मैन्टीनैंस 7.00 लाख रूपये

इस स्कीम के अतंर्गत विभागीय गाडियों के रख–रखाव हेतू 7.00 लाख रूपयें की व्यवस्था की जा रही है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 7.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

9. पी0ओ0एल0 / डीजल 4.00 लाख रूपये

इस स्कीम के अंतर्गत गाडियों के डीजल के लिए विभाग 4.00 रूपयें की मांग कर रहा है जो कि उचित है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 4.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

10. अनुदान 7.00 लाख रू0

विभाग का प्रस्ताव है कि निजी भूमि मे बनाऐ गऐ तालाबों पर पानी की व्यवस्था के लिए मत्स्य किसानों को अनुदान प्रदान किया जाऐ । यह अनुदान 0.4 हैक्टेयर या इससे अधिक निजी भूमि तथा लम्बी अवधि के पटटे् पर लिये गऐ ग्रामीण तालाबों पर जिनकी पटटा् अवधि कम से कम तीन वर्ष पर ही अनुदान प्रदान किया जाऐगा । मत्स्य किसान द्वारा पानी की व्यवस्था के लिए 20 शैलो टयूबवैल पर 50000/– रू0 तक की लागत पर 20 प्रतिशत या वास्तविक खर्च का 20 प्रतिशत जो भी राशि कम हो का अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार 1.00 हैक्टेयर जल क्षेत्र या इससे अधिक जल क्षेत्र मे मत्स्य किसान को 10 डीप टयूबवैल लगाने पर 200000/– रू0 की अधिकतम लागत पर 20 प्रतिशत या वास्तविक खर्च का 20 प्रतिशत या जो भी राशि कम हो का अनुदान देने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार मत्स्य उत्पादक्ता को बढाने के लिए 0.4 हैक्टेयर जल क्षेत्र से अधिक तालाबों पर 10 ऐरियेटर लगाने के लिए जिसकी अधिकतम सीमा 50000/– रू0 रखी गई है । मत्स्य किसानों को 50000/– रू0 या वास्तविक खर्च का 20 प्रतिशत या जो भी कम का अनुदान के रूप मे देने का प्रस्ताव है । वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग ने शैलो टयूबवैल 20, डीप टयूबवैल 10 तथा ऐरियेटर 10 के भौतिक लक्ष्य रखे गऐ है जिस पर लगभग 7.00 लाख रू0 अनुदान के रूप मे खर्च आने की सम्भावना है । इस मद मे 7.00 लाख रू0 अनुदान देने की व्यवस्था की गई है ।

11. ग्रांट टू पंचायत 300.00 लाख रूपयें

विभाग द्वारा इस वर्ष के दौरान मत्स्य पालन के अधिन जल क्षेत्र को 14613 हैक्टेयर से बढाकर 15570 हैक्टेयर किया जाना है । अर्थात कुल 957 हैक्टेयर नए जल क्षेत्र का सृजन होगा । वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा 120.00 हैक्टेयर नऐ जल क्षेत्र के सजृज के लक्ष्य रखे गऐ है । नऐ जल क्षेत्र का सजृन इस स्कीम के

अतिरिक्त केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों मे भी होगा । लक्ष्यों के प्राप्ति हेतू विभाग प्रस्ताव करता है कि इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान पंचायतों के पास उपलब्ध उबड–खाबड 80.00 हैक्टेयर भूमि मे तालाब बनाऐ जायेगे जिस पर प्रति हैक्टेयर 3.00 लाख रू0 खर्च आने का अनुमान है तथा 40.00 हैक्टेयर ग्रामीण तालाबों का सुधार किया जायेगा जिस पर 2.00 लाख रू0 प्रति हैक्टेयर खर्चा अनुमानित है । नऐ जल क्षेत्र से न केवल पंचायत के राजस्व मे वद्धि होगी अपितु स्वंय रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवायें जायेगे । बनाये जाने वाले नए तालाबों से प्रति वर्ष 816 मि0टन मछली उत्पादन मे बढौतरी होगी । इस स्कीम के अंतर्गत बनाये जाने वाले तालाबों के लिए सम्बधित पंचायतों को शत–प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 300.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

12. वेजिज 18.00 लाख रूपये

इस स्कीम के अंतर्गत मत्स्य फार्मों की सफाई तथा मत्स्य पालको के तालाबों की ट्रायल नेटिंग तथा पार्ट टाईम स्वीपर रखने हेतू विभाग 18.00 लाख रूपये का प्रावधान कर रहा है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इस मद के अंतर्गत 18.00 लाख रूपयें स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

13. अनुगृहित राशि 3.00 लाख रूपयें

इस मद के अंतर्गत सेवा के दौरान कर्मचारी/अधिकारी की मृत्यु की स्वीकृति में 3.00 लाख रूपये की व्यवस्था की जा रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि मांगी गई 3.00 लाख रूपये की धनराशि प्रदान करने की कृपा करें।

सरकार से अनुरोध है कि इस स्कीम को कार्यान्वित करने हेतू 423.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी जाये जिसका मुख्य शीर्षक 2405–फिशरीज–101–इन्लैंड फिशरीज (92), योजना स्कीम फार इन्टैसिंव फिशरीज डवैल्पमैंट प्रोग्राम वर्ष 2015–16 के अंतर्गत व्यय किया जायेगा ।

इस स्कीम के अंतर्गत निदेशक मत्स्य पालन हरियाणा, पंचकूला कन्ट्रलिंग तथा आदान तथा वितरण अधिकारी होगें इसके अतिरिक्त सयुंक्त निदेशक मत्स्य पालन हरियाणा, पंचकूला/ प्राधानाचार्य, जलकृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार / उपनिदेशक मत्स्य हरियाणा, पंचकूला, गुडगावं, हिसार, रोहतक, ज्योतिसर / जिला मत्स्य अधिकारी मुख्यालय, जिला मत्स्य

अधिकारी मुख्यालय, जिला मत्स्य अधिकारी पंचकूला, मेवात, पलवल / जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, भिवानी, झज्जर, जीन्द, नारनौल, फरीदाबाद, रेवाडी, फतेहाबाद, गुडगांव / मत्स्य फार्म प्रबंधक ज्योतिसर (कुरुक्षेत्र), सैदपुरा (करनाल), ककरोई (सोनीपत), बडखल (फरीदाबाद), दमदमा (गुडगावं), लिसाना (रेवाडी), झज्जर, सॉपला (रोहतक), हिसार, टोहाना (फतेहाबाद) / मत्स्य अनुसंधान अधिकारी, हिसार आदान तथा वितरण अधिकारी होगें । सरकार को प्रस्ताव दौहरी प्रतियों में अनुलग्नकों सहित स्वीकृति हेतू प्रेषित है ।

सलंग्न : स्टेटमैंट ऑफ कॉस्ट ।

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

Endst. No. PA-III-2015/ 4894-918 पंचकुला दिनांक/ 8/5/15

इसकी एक प्रति सभी उप-निदेशक मत्स्य व सभी जिला मत्स्य अधिकारी हरियाणा राज्य को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

उप निदेशक मत्स्य (मु०)
कृते: निदेशक मत्स्य पालन, विभाग
पंचकुला ।

<u>**STATEMENT OF COST**</u>

Plan Scheme for the Intensive Fisheries Development Programme for the year 2015-16.

Sr. No.	PUA	Amount
I.	**Salaries**	3500000
1	One post of District Fisheries Officer in the pay scale of Rs. 9300-34800+ 4200 GP	
2	Two posts of Fisheries Officer in the pay scale of Rs. 9300-34800+ 3600 GP	
3	One post of Accountant in the pay scale of Rs. 9300-34800+ 3600 GP	
4	One post of Account Clerk-cum-Clerk in the pay scale of Rs. 5200-20200+ 1900 GP	
5	Three posts of Driver in the pay scale of Rs. 5200-20200+ 2400 GP + 200/100 S.P.	
6	One post of Commercial Fishermen in the pay scale of Rs. 5200-20200 + 1900 GP	
7	One post of Field Assistant in the pay scale of Rs. 4440-7440 + 1300 GP	
8	Four posts of Fishermen-cum-Watchman in the pay scale of Rs. 4440-7440+1300 GP	
9	One post of Peon in the pay scale of Rs. 4440-7440+1300 GP	
II	Dearness Allowance	3500000
III	Medical Re-imbursement	100000
IV	LTC	100000
V	Traveling Expenses	200000
VI	Office Expenses	500000
VII	Machinery & Equipment	500000
VIII	Motor Vehicle & Maintenance	700000
IX	POL/ Diesel	400000
X	Subsidy	700000
XI	Grant-to-Panchayat	30000000
XII	Wages	1800000
XIII	Ex-gratia	300000
	Total	**42300000**

(Rs. Four Crore Twenty Three Lakh Only)